पत्र संख्या–आई0टी0 जी0एस0टी0 रिटर्न/2017–18/ 1487/1718067 वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0–अनुभाग)
लखनऊः: दिनांकः: दिसम्बर, 12, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

जी0एस0टी0एन0 द्वारा दिनांक 08.12.2017 से GSTR-3B सभी कर निर्धारण अधिकारियों के लॉगिन पर उपलब्ध करा दिया गया है एवं इसके अतिरिक्त राज्य के व्यापारियों द्वारा दाखिल किये गये Trans-1 का डाटा भी उपलब्ध करा दिया गया है। अतः यह आवश्यक है कि इस डाटा का समुचित उपयोग प्रदेश की राजस्व वृद्धि के लिये किया जाये। तद्नुसार माह दिसम्बर हेतु विभाग की कार्य योजना निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

(i) ऐसे सभी व्यापारी जिनके द्वारा माह जुलाई से अक्टूबर तक कोई भी रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है की जांच दिनांक 25.12.2017 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

(ii) 01.07.2017 के उपरान्त नया पंजीयन प्राप्त करने वाले ऐसे सभी व्यापारियों जिनके द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है कि जांच भी दिनांक 31.12.2017 तक पूर्ण की जायेगी।

(iii) दिनांक 01.07.2017 के उपरान्त पंजीकृत ऐसे सभी व्यापारियों जिनके द्वारा ई–वे बिल से माल मंगाया गया है किन्तु रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है की जांच भी दिनांक 25.12.2017 तक पूर्ण की जायेगी।

(iv) ऐसे सभी भट्ठा व्यापारियों जिनके द्वारा जी0एस0टी0 में माइग्रेशन नहीं कराया गया है अथवा माइग्रेशन कर लेने के उपरान्त रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है की जांच भी दिनांक 25.12.2017 तक पूर्ण की जायेगी।

(v) ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा Trans-1 में SGST की Credit Claim की गयी है किन्तु माह जून का रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है उनके द्वारा Trans-1 में Claim की गयी Credit की जांच पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से की जायेगी। Trans-1 में Claim की गयी Credit विश्वसनीय न होने पर व्यापारी को नोटिस जारी करते हुए लेखा पुस्तकों की जांच Trans-1 Credit के लिये की जायेगी। यही प्रकिया उन व्यापारियों के विषय में भी अपनायी जायेगी जिनके द्वारा माह जून का रिटर्न दाखिल किया गया है किन्तु जून के रिटर्न में अग्रनीत VAT ITC से अधिक की Credit Trans-1में Claim की गयी है। आवश्यकतानुसार विस्तृत जांच हेतु मामला वि0अनु0शा0 को सन्दर्भित किया जा सकता है।

(vi) Trans-1 दाखिल करने वाले व्यापारियों द्वारा नियमानुसार C व F Form दाखिल कर दिया गया है या नहीं की जांच भी की जायेगी और यदि उनके द्वारा C व F Form दाखिल नहीं किया गया है तो तद्नुसार Trans-1 में वह आई0टी0सी0 घटा ली गयी है यह सुनिश्चित किया जायेगा और ऐसा न पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः–पृ0सं0–2

(vii) ऐसे सभी व्यापारी जिनके द्वारा ई–वे बिल के माध्यम से अभी तक रूपये 10 लाख से अधिक के माल का आयात किया गया है उनके द्वारा दाखिल GSTR-3B की जांच करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा आयातित माल की तुलना में सही बिक्री घोषित की जा रही है अथवा नहीं एवं नियमानुसार देय कर जमा किया जा रहा है। इसमें से रूपये 50 लाख से अधिक के आयात वाले मामलों की जांच दिनांक 25.12.2017 तक एवं 10 लाख से 50 लाख तक के आयात के मामलों की जांच दिनांक 31.12.2017 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

(viii) क्योंकि वर्तमान में GSTR-3B कर निर्धारण अधिकारियों के डैसबोर्ड पर उपलब्ध हो गया है। अतः यह आवश्यक है कि गत वर्ष माह जुलाई,अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर में व्यापारियों द्वारा स्वीकार की गयी VAT देयता एवं संगतवर्ष में इन्हीं माहों में उन व्यापारियों द्वारा स्वीकार की गयी SGST देयता की तुलना की जाये। जिन व्यापारियों द्वारा SGST देयता, VAT की देयता से कम स्वीकार की जा रही है तो उनकी पत्रावली से विस्तृत परीक्षण किया जाये और संतोषजनक न पाये जाने पर SIB जांच हेतु संदर्भित किया जाये। ऐसे व्यापारियों की SIB जांच ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा अपने संयुक्त निर्देशन में करायी जाये। इस हेतु ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट) द्वारा अपने सभी व्यापारियों, खण्ड़ में तैनात डिप्टी कमिश्नर द्वारा 50 सबसे बड़े व्यापारियों तथा असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के 100 सबसे बड़े व्यापारियों की जांच दिनांक 31.12.2017 तक पूर्ण की जायेगी। प्रश्नगत जांच के उपरान्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट) एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा अपने अधिक्षेत्र के 50 बड़े व्यापारियों की सूचना एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 को दिनांक 02.01.2018 तक उपलब्ध करायी जायेगी तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 द्वारा जोन के 50 सबसे बड़े व्यापारियों की सूचना मुख्यालय के संख्या अनुभाग को दिनांक 05.01.2018 तक निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

क0 सं0	व्यापारी का नाम जिसके विषय में जांच की गयी	वर्ष 2016–17 में चार माहों में स्वीकृत वैट देयता	स्वीकृति देयता में से आई0टी0सी0 के विरूद्ध समायोजन	शुद्ध अदा किया गया वैट	वर्ष 2017–18 में स्वीकृत SGST की देयता	स्वीकृत देयता के विरूद्ध ITC से समयोजन		शुद्ध देय अदा किये गये SGST की धनराशि	सकल देयता में कमी/वृद्धि का प्रतिशत (कॉलम 6 में कॉलम 3 के सापेक्ष)
						SGST की ITC से समायोजन	IGST की ITC से समायोजन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उपरोक्त प्रारूप में यह सूचना प्रतिदिन जांच किये गये रिटर्न के सम्बंध में जांच करने वाले अधिकारियों द्वारा तैयार की जायेगी जिससे कि समेकित सूचना ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को दिनांक 31.12.2017 को उपलब्ध करायी जा सके। मुख्यलय के नोड़ल अधिकारियों एवं अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा फील्ड के भ्रमण के समय खण्ड़ स्तर के अधिकारियों का निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निरीक्षण के समय तक उनके द्वारा उपरोक्तानुसार किन व्यापारियों की जांच पूर्ण की गयी है और जिन अधिकारियों द्वारा उपरोक्त मानक के अनुसार जांच नहीं की जायेगी उनके विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यवाही अपनायी जायेगी।

क्रमशः–पृ0सं0–3

(ix) टी0डी0एस0 की व्यवस्था भी अतिशीघ्र प्रभावी होने की सम्भावना है। अतः सभी खण्ड़ाधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वैट के अन्तर्गत जिन आहरण वितरण अधिकारियों, सरकारी विभागों/संस्थाओं एवं कार्यदायी संस्थाओं व स्थानीय निकायों द्वारा टी0डी0एस0 हेतु पंजीकरण कराया गया था उनका पंजीकरण दिनांक 31.12.2017 तक पूर्ण कर लिया जाये। इस हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे बैठक इस सप्ताह आयोजित कर ली जाये और सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए उनसे दिनांक 31.12.2017 से पूर्व जी0एस0टी0 पोर्टल पर पंजीयन पूर्ण करा लेने का अनुरोध कर लिया जाये।

(x) बिन्दु संख्या 1,2,3 व 4 से सम्बंधित जो भी जांच की जायेगी उसकी फीडिंग Employee Information System में उपलब्ध माड्यूल में उसी दिन की जायेगी तथा जिन अधिकारियों द्वारा उसी दिन फीडिंग नहीं की जाती है उनके सम्बंध में यह माना जायेगा कि उनके द्वारा उस दिन इस बिन्दु पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। तद्नुसार उनके विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यवाही की जायेगी।

सभी अधिकारियों की उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर ही माह दिसम्बर हेतु ग्रेडिंग की जायेगी और जिन अधिकारियों की ग्रेडिंग संतोष जनक नहीं पायी जायेगी उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

11/12/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।